

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

भिशाल संख्या:- 523/2018

निर्णय दिनांक :- 4/3/2022

उनवानी दावा :

1. भंवर सिंह स्व० श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज०
2. उम्मेद सिंह स्व० श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज०
3. किस्मत कंवर पि० स्व० श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज०
4. बंदन कंवर बेवा स्व० श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज०

—अपीलान्त—

बनाम

1. ग्राम पंचायत गैरोली, तहसील दूनी पं.स. देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार साहब दूनी जिला टोंक (राज.)

—प्रतिपक्षीगण —

उपस्थिति :-

श्री प्रेम चन्द जैन
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता अपीलान्त

एकपक्षीय कार्यवाही
विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 1


अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1230, 1331, 1332 दिनांक 10.08.2016,
ग्राम पंचायत गैरोली

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त स्व० जगन्नाथ सिंह के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। स्व० जगन्नाथ सिंह की खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजीयात ख०नं० 1803 रकबा 0.55 है०, ख०नं० 1732 रकबा 1.04 है०, ख०नं० 1821 रकबा 0.82 है०, ख०नं० 2016 रकबा 0.57 है०, ख०नं० 1815 रकबा 1.76 है० वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं०- क्रमशः 184, 183, 181, 182, 316 में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात

दिनांक

अपीलान्टस के पूर्वज जगन्नाथ पि०मु०पृथ्वीसिंह का हक व हिस्सा था, जगन्नाथ सिंह की मृत्यु दिनांक 12.02.2016 के बाद उक्त हिस्सा आराजीयात का नामान्तकरण अपीलान्टस के नाम अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा तस्दीक नहीं कर नामान्तकरण सं०-1232, 1331, 1332 को अपने आदेश दिनांक 10.08.2016 के जरिये यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि “जगन्नाथ सिंह केशरसिंह के गोद गये हुए है और पृथ्वीसिंह के वारिस उनकी चार पुत्रिया है एवं नामान्तकरण जगन्नाथसिंह पुत्र केशरसिंह एवं जगन्नाथ सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दोनों नामों से पाया गया एवं पृथ्वीसिंह जी से कोई रिश्ता नहीं पाया गया, अतः यह खारिज किया जाता है।” जिसके विरुद्ध अपीलान्टस की और से यह अपील निम्न कारणों के साथ पेश है :- योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा खारिज किया गया नामान्तरण विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली ने नियमानुसार जांच किये बिना व बिना मौके पर जाकर जांच किये उक्त नामान्तकरण खारिज किया है, जो पूर्णतया गलत है एवं निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्टस के पूर्वजों का सजरा निम्न है :-



11.2.16

उपरोक्तानुसार डूंगरसिंह जी के दो पुत्र क्रमशः पृथ्वीसिंह व केसरसिंह
 .ान पुत्रियां सौभागबाई, लाडबाई, पानबाई हुए, जिसमें से केसरसिंह लाऔलाद
 फौत हुए तथा पृथ्वीसिंह के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण उन्होने
 अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथ सिंह को उसके प्राकृतिक पिता कल्याणसिंह से
 गोद लेकर गोद का पुत्र बनाया, स्व० पृथ्वीसिंह की मृत्यु के उपरान्त उनकी पगडी
 भी उपस्थित समुदाय के समक्ष अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथसिंह के बंधी थी,
 स्व० पृथ्वीसिंह के भाई केसरसिंह जी जिनके भी कोई संतान नहीं थी, उनकी
 पगडी भी स्व० जगन्नाथ सिंह जी के ही बंधी थी, इसलिए जगन्नाथसिंह की
 वलदीयत में दो नाम क्रमशः पृथ्वीसिंह एवं केसरसिंह आ रहे हैं। जिसके
 अपीलान्ट्स स्व० जगन्नाथसिंह जी की मृत्यु दिनांक 12.02.2016 को होने के
 उपरान्त आराजीयात ख०नं० 1803 रकबा 0.55 है०, ख०नं० 1732 रकबा 1.04 है०,
 ख०नं० 1821 रकबा 0.82 है०, ख०नं० 2016 रकबा 0.57 है०, ख०नं० 1815 रकबा
 1.76 है० वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
 देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथ
 का हक व हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज था, जिस पर आज भी
 अपीलान्ट्स का उपरोक्तानुसार उक्त भूमि पर काबिज, काशत है, किन्तु उसके
 उपरान्त भी योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा उनके हिस्से की भूमि का
 नामान्तकरण उनके नाम तस्दीक नही कर नामान्तकरण को खारिज कर महती
 कानूनी भूल की है। अपीलान्ट्स ही स्व० जगन्नाथ सिंह जी के विधिक वारिसान व
 उत्तराधिकारी है, स्व० जगन्नाथ सिंह अपने जीवनकाल में भी उक्त आराजीयात पर
 स्वामी, काबिज काशतकार थे, वह उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट्स ही स्वामी
 काबिज काशतकार चले आ रहे हैं, किन्तु उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने
 नामान्तकरण को गलत रूप से अस्वीकार किया है। ग्राम पंचायत ने स्व० जगन्नाथ
 के उत्तराधिकारियों की नियमानुसार जांच नहीं की और ना ही उत्तराधिकारियों की

10.8

जांच करने का कोई प्रयास किया और विधि विरुद्ध तरीके से उक्त नामान्तकरण बिना अपीलान्ट्स को कोई साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व अपीलान्ट्स को बिना किसी सूचना दिये, खारिज किया है। उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था अथवा कोई नोटिस अथवा सूचना जारी करनी चाहिये थी, किन्तु अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये बिना व को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलान्ट्स के हितों के प्रति प्रभावहीन व शून्य है अपीलान्ट्स उक्त आराजीयात में अपने पूर्वज जगन्नाथ के हिस्से की आराजीयात पर काबिज, काशत चले आ रहे हैं। इस कारण भी उक्त आराजीयात में स्व० जगन्नाथ के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हक में स्वीकार योग्य था। अपीलान्ट्स को उक्त खारिज हुए नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट्स आज भी अपने पूर्वज जगन्नाथ के हिस्से की भूमि 7/45 को काशत कर रहे हैं लेकिन कुछ समय पूर्व अपीलान्ट सं० 1 पंचायत कार्यालय में भूमि के संबंध में जानकारी करने गया हुआ था तब उसको संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नहीं है, जिस पर अपीलान्ट्स ने उक्त नामान्तकरण से संबंधित नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 10.08.2018 को प्राप्त होने पर अपील पेश करने हेतु खर्च का इन्तेजाम कर उक्त अपील आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई चूक नहीं की है, जो भी चूक हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को कण्डोन किये जाने हेतु अपीलान्ट्स पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर रहे हैं। अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है, जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अन्य कारण बरवक्त बहस पूर्व अनुमति प्राप्त कर निवेदन किये जावेगे। अतः

D. D. D.

अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा पारित नामान्तकरण सं०-1232, 1331, 1332 दिनांक 10.08.2016 को अपास्त कर आराजीयात ख०नं० 1803 रकबा 0.55 है०, ख०नं० 1732 रकबा 1.04 है०, ख०नं० 1821 रकबा 0.82 है०, ख०नं० 2016 रकबा 0.57 है०, ख०नं० 1815 रकबा 1.76 है० वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्व० जगन्नाथ सिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हक में तस्दीक कर अपीलान्ट्स के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:-अपीलांट्स ने जो सजरा प्रस्तुत किया है उसमें डूंगर सिंह के दो पुत्र बताये है जबकि उनके तीन पुत्र है। जगन्नाथ सिंह को उनके प्राकृतिक पिता कल्याण सिंह से गोद लेकर पृथ्वी सिंह का गोद पुत्र होने की बात बताई है उपर्युक्त दोनो बाते गलत है। ग्रा०पं० में नामान्तकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजो में जगन्नाथ सिंह के पिता केसर सिंह अंकित है। किसी भी दस्तावेज में पृथ्वी सिंह का नाम नहीं है। अपीलांट्स ने केसर सिंह एवं पृथ्वी सिंह दोनो के उत्तराधिकारी जगन्नाथ सिंह को बताया है। लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज ग्रा०पं० में प्रस्तुत नहीं किये गये एवं केसर सिंह, पृथ्वी सिंह के भाई भौम सिंह व उनके पुत्रो को सजरे में शामिल न करके श्रीमान को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले की सही जांच का आदेश दिया जाये। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सजरा की प्रति ग्रा०पं० गैरोली द्वारा बनाया गया।

D. D. D.

रेस्पोजेन्ट संख्या 2 का अपील के प्रति उतरदायित्व नहीं होने से उनकी तामिल अथवा जवाब की आवश्यकता नहीं है।

रेस्पोजेन्ट संख्या 2 का अपील के प्रति उतरदायित्व नहीं होने से उनकी तामिल अथवा जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व 151 सीपीसी पेश करने पर बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और नामान्तकरण संख्या 1331 के स्थान पर 1369 अपील में पढा व समझा जाने के आदेश दिये गये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।


बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया कथन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज जगन्नाथ सिंह को पृथ्वी सिंह को समाज के समक्ष गोद लिया था और पृथ्वी सिंह के स्वर्गवास बाद पृथ्वीसिंह की पगड़ी जगन्नाथ सिंह के बंधी थी और स्व. पृथ्वी सिंह के भाई केसर सिंह के लाओलाद फौत होने से उनकी पगड़ी भी जगन्नाथ सिंह के ही बन्दी थी इसलिए जगन्नाथ सिंह की वल्लिदयत में दोनो भाईयों के नाम पृथ्वी सिंह एवं केसर सिंह आ रहे है। पृथ्वीसिंह की माता व बहिन ने जगन्नाथ सिंह के हक में हक त्याग किया है। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद आराजी ख०नं० 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 है० में अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि के 7/45 हिस्से का नामान्तकरण खोलना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत गैरोली ने अपीलान्ट के हिस्से का नामान्तकरण तस्दीक न कर नामान्तकरण खारिज कर दिया जो ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा की गई कानूनी भूल है और अपीलान्ट के हितो के विपरीत है। जबकि ग्राम पंचायत गैरोली को पूर्णतया जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत गैरोली पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया। अतः न्यायालय ग्राम पंचायत गैरोली

10/11/24

को नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु आदेशित करनेजिसको वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम गैरोली नामान्तकरण संख्या 1369 में नीचे की ओर लिखा है, प्रस्ताव संख्या 2 अस्वीकार है। जमाबन्दी संम्बत 2073-76 ग्राम ग्राम गैरोली के खाता संख्या 184 में जगन्नाथ सिंह पुत्र पि. मु. पृथ्वीसिंह जगन्नाथ सिंह पुत्र केसर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। रजिस्टर ग्राम पंचायत गैरोली नामान्तकरण संख्या 1369 में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार नामान्तकरण अस्वीकार किया है जिसको दुरुस्त करने हेतु अपीलान्ट ने अपील पेश की है। अपीलान्टस के अनुसार ग्राम पंचायत गैरोली ने पूर्वाग्रस्त होकर नामान्तकरण खारिज किया है। उक्त बहस, दस्तावेजात से यह तथ्य सामने आते है कि ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच सही नहीं की गई है। पूछताछ, रिकॉर्ड के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक है। अत ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1369 दिनांक 10.08.16 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिक दस्तावेजात के आधार व गांव में वृद्ध मोतबिरान से जांच पड़ताल कर नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली